Helpline No.:-(+91)-7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ▌ई–मेल - jrrsu@yahoo.com ▌टेलीफैक्स: 0141-2850551–75

क्रमांक : प ( ) जरारासंविवि/ शैक्ष. –विद्यापरिषद्/2023/ दिनांक : 24.01.2023

बैठक कार्यवाही विवरण

माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24.01.2023 को दोपहर 2:00 बजे विद्यापरिषद् की 32वीं बैठक (Part I) आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार उपस्थिति रही:–

क्र. सं.	नाम/पद
1.	प्रो. भास्कर शर्मा, संकायाध्यक्ष, वेद–वेदांग संकाय
2.	प्रो. शालिनी सक्सैना, संकायाध्यक्ष आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय
3.	डॉ. माताप्रसाद शर्मा, संकायाध्यक्ष शिक्षा/श्रमण विद्या संकाय
4.	डॉ. एल. एन. शर्मा (शास्त्री), संकायाध्यक्ष दर्शन
5.	डॉ. महेश कुमार शर्मा, संयोजक अध्ययन मण्डल व्याकरण
6.	डॉ. कैलाश चन्द्र शर्मा, संयोजक अध्ययन मण्डल ज्योतिष
7.	डॉ. कुलदीप सिंह, संयोजक अध्ययन मण्डल शिक्षा
8.	डॉ. हितेन्द्र धनुष्कर, संयोजक अध्ययन मण्डल जैन दर्शन/श्रमण विद्या
9.	डॉ. शत्रुघ्न सिंह, संयोजक अध्ययन मण्डल योग विज्ञान
10.	डॉ. जितेन्द्र अग्रवाल, संयोजक अध्ययन मण्डल साहित्य एवं भाषा विज्ञान
11.	डॉ. जगदीश प्रसाद शर्मा, संयोजक अध्ययन मण्डल पुराणेतिहास एवं प्राचीन राजनीति विज्ञान
12.	डॉ. इन्दिरा खत्री, संयोजक अध्ययन मण्डल हिन्दी
13.	डॉ. कमल किशोर सैनी, संयोजक अध्ययन मण्डल राजनीति विज्ञान
14.	डॉ. सुरेन्द्र सिंह शेखावत, संयोजक अध्ययन मण्डल पर्यावरण अध्ययन
15.	डॉ. अशोक पलसानिया, संयोजक अध्ययन मण्डलशारीरिक शिक्षा
16.	डॉ. रणजीत कुमार झा, संयोजक अध्ययन मण्डल वेद एवं पौरोहित्य
17.	श्री कुलदीप तिवारी, संयोजक अध्ययन मण्डल कम्प्यूटर शिक्षा
18.	डॉ. विनोद कुमार शर्मा, विभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष, ज्योतिष विभाग
19.	डॉ. अरूण कुमार जैन, संयोजक अध्ययन मण्डल (दर्शन) एवं प्राचार्य राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, महापुरा
20.	डॉ. महेश कल्याण, प्राचार्य राज. शा. संस्कृत महाविद्यालय, नीम का थाना
21.	डॉ. सुभाष चन्द्र शर्मा, परीक्षा नियंत्रक
22.	श्री दुर्गेश राजोरिया, कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक

बैठक का आरम्भ मंगलाचरण से किया गया एवं सदन में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक के एजेण्डे पर सदन द्वारा विस्तृत चर्चा की गई एवं निम्नानुसार अभिशंषाएं की गई:–

क्र. सं.	प्रकरण	अभिशंषा
1.	विश्वविद्यालय की शास्त्री/आचार्य/संयुक्ताचार्य परीक्षा प्रणाली एवं वर्तमान CBCS प्रणाली के संबंध में।	कार्यपरिषद् की 71 वीं बैठक के निर्णय संख्या 5–9 में CBCS प्रणाली के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 22.11.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिये गये:– 1. सत्र 2022–23 में संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय एवं अराजकीय महाविद्यालयों में प्रविष्ट शास्त्री प्रथम वर्ष एवं आचार्य प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए CBCS पाठ्यक्रम सेमेस्टर पद्धति परीक्षा स्थगित करते हुए पूर्व सत्र 2019 की भांति वार्षिक परीक्षा पद्धति लागू करते हुए त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ववत लागू किये जाने की संस्तुति की जाती है। 2. वर्तमान में सत्र 2021–22 में प्रविष्ट विद्यार्थियों को सत्र लम्बित

		होने के दृष्टिगत परीक्षा वर्ष 2022 में प्रविष्ठ बी.ए./बी.एस.सी./शास्त्री प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर, बी.ए./बी.एस.सी./शास्त्री द्वितीय वर्ष प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को शास्त्री प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर शास्त्री द्वितीय वर्ष द्वितीय सेमेस्टर एवं आचार्य प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर में प्रमोट करने की संस्तुति की गई, जिससे कि इन विद्यार्थियों का सत्र लम्बित नहीं हो और इनकी उपाधि समय पर पूर्ण की जा सकें। विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पंचवर्षीय संयुक्ताचार्य के नाम से सेमेस्टर पद्धति में लागू सी.बी.सी.एस. पाठ्यक्रम को स्थगित किया जाकर सेमेस्टर पद्धति को पूर्ववत् संचालित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। शास्त्री एवं आचार्य परीक्षा में समान डिग्री होने को उपयुक्त मानते हुए विश्वविद्यालय परिसर में भी महाविद्यालय की भांति संयुक्ताचार्य के स्थान पर शास्त्री/आचार्य की उपाधि देने का निर्णय लिया गया। उक्त संस्तुति को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त प्रकरण में सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही संकायाध्यक्षों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि वार्षिक परीक्षा हेतु पूर्व पाठ्यक्रम (सत्र 2019 में लागू पाठ्यक्रम) ही यथावत लागू किया जावें, जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। सत्र 2019 के लागू पाठ्यक्रम को कक्षानुसार विषयवार वेबसाईट पर अपलोड करवाने एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों को भी उसकी प्रति भिजवाये जाने हेतु डॉ. स्नेहलता शर्मा, सह संयोजक विद्यापरिषद् को अधिकृत किया गया।
2.	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में।	पूर्व में सभी परीक्षाओं में एक परीक्षक को प्रति कक्षा प्रति विषय प्रति प्रश्न पत्र 300 उत्तर पुस्तिकाओं का ही भुगतान किया जा रहा है। चूंकि वर्तमान में संस्कृत शिक्षकों की संख्या में निरन्तर कमी हो रही हैं, अतः सदन में विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त अभिशंषा की गई कि एक परीक्षक को प्रति कक्षा, प्रति विषय प्रति प्रश्न पत्र की सीमा 300 उत्तर पुस्तिकाओं से बढ़ाकर एक परीक्षक को प्रति कक्षा प्रति विषय प्रति प्रश्न पत्र की सीमा 600 उत्तर पुस्तिकाएं किये जाने का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।
3.	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं प्रायोगिक कार्य के भुगतान के संबंध में।	विश्वविद्यालय की 58वीं कार्यपरिषद् के बिन्दु संख्या 58–4 की पालना में जारी आदेशों में शास्त्री स्तर पर उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु 20/– प्रति उत्तर पुस्तिका एवं न्यूनतम रु. 500/– तथा आचार्य स्तर पर उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु रु. 30/– प्रति उत्तर पुस्तिका एवं न्यूनतम रु. 600/– दिये जाने का उल्लेख है, जिस पर अंकेक्षण दल द्वारा आक्षेप लगाये गये है। परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्तावानुसार "शास्त्री स्तर पर प्रति कक्षा प्रति विषय प्रति प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु रु. 20/– प्रति उत्तर पुस्तिका एवं न्यूनतम रु. 500/– तथा आचार्य स्तर पर प्रति कक्षा प्रति विषय प्रति प्रश्न पत्र उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु रु. 30/– प्रति उत्तरपुस्तिका एवं न्यूनतम रु. 600/– देय होगा। इसी प्रकार प्रायोगिक परीक्षाओं में भी शास्त्री स्तर पर प्रति कक्षा प्रति विषय प्रति प्रश्न पत्र में प्रविष्ठ प्रति विद्यार्थी रु. 20/– एवं न्यूनतम रु. 300/– तथा आचार्य स्तर पर प्रति कक्षा प्रति विषय प्रति प्रश्नपत्र में प्रविष्ठ प्रति विद्यार्थी रु. 20/– एवं न्यूनतम रु. 500/– देय

		होगा।" का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4.	PSST, PSSST सत्र 2022–23 में राज्य सरकार के निर्णयानुसार शिक्षाशास्त्री (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) संस्कृत पात्रता परीक्षा (सेतु अभ्यासक्रम:) एवं शास्त्री–शिक्षाशास्त्री (चारवर्षीय पाठ्यक्रम) संबंधी अपेक्षित परिवर्तन/निर्माण, जो कि शिक्षा संकाय के संकायाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया।	राजभवन से प्राप्त निर्देशों की पालना में सामान्य स्नातक विद्यार्थियों को भी शिक्षाशास्त्री/शास्त्री–शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सेतु कोर्स किये जाने की शर्त पर योग्य माने जाने की अभिशंषा की गई एवं संबंधित पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
5.	विद्यापरिषद् में तीन शिक्षाविदों को सहयोजित करना।	विश्वविद्यालय परिनियम में उल्लेखानुसार विद्यापरिषद् सदस्यों में 'विद्यापरिषद् द्वारा सहयोजित तीन ऐसे व्यक्ति जो किसी अध्ययन विशेष में विशेष उपलब्धि रखते हो और जो विश्वविद्यालय में या किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय या अनुमोदित संस्था में अध्यापक नहीं हो।" सदन में ऐसे अधोलिखित तीन शिक्षाविदों को नामित किया गया:– 1. प्रो. विजय कुमार पाण्डेय, साहित्य विभागाध्यक्ष, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ. प्र.) 2. प्रो. सत्यपाल सिंह, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 3. प्रो. अरविन्द विक्रम सिंह, दर्शन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
6.	विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं/छात्रावासों के लिए आचार संहिता।	विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं/छात्रावासों के लिए आचार संहिता के संबंध में विभिन्न विश्वविद्यालयों की आचार संहिता सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा सर्वसम्मति से माननीय कुलपति महोदय को विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं/छात्रावासों के लिए आचार संहिता के निर्माण बाबत् समिति नियुक्त किये जाने हेतु अधिकृत किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन उपरान्त ही आगामी कार्यपरिषद् में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
7.	विश्वविद्यालय में बी.ए. एवं एम.ए. संस्कृत पढ़ाये जाने का प्रकरण विचारार्थ	डॉ. माताप्रसाद शर्मा, संकायाध्यक्ष शिक्षा संकाय द्वारा विश्वविद्यालय में बी.ए. एवं एम.ए. संस्कृत पढ़ाये जाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अभिशंषा की गई कि फिलहाल उक्त पाठ्यक्रम आधुनिक ज्ञान–विज्ञान संकाय के अन्तर्गत रखा जावें एवं पृथक् से पाठ्यक्रम बनाया जाकर विश्वविद्यालय परिसर में ही प्रारम्भ किये जावें, जिसमें संस्कृत की अनिवार्यता हो। संबंधित पाठ्यक्रम को आगामी कार्यपरिषद् में अनुमोदन उपरान्त लागू किया जावें।
8.	स्नातकोत्तर (एम0ए0) आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विषयों को प्रारम्भ किए जाने का प्रकरण विचारार्थ।	आधुनिक विषयों को विश्वविद्यालय में पढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव डॉ. मातप्रसाद शर्मा द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। डॉ. शर्मा द्वारा इस संबंध में अपना अभिमत प्रकट किया गया कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संस्कृत के विषयों के साथ–साथ आधुनिक विषयों का अध्यापन कार्य करवाये जाने पर छात्र संख्या में अभिवृद्धि के साथ ही विश्वविद्यालय की आय में भी वृद्धि होगी तथा आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय की पहचान एवं महत्व बढ़ेगा। प्रकरण में व्यापक चर्चोपरान्त अभिशंषा की गई कि शास्त्री में स्वीकृत आधुनिक विषयों का पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर (एम0ए0) कक्षा आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में प्रारम्भ किये जाने के साथ ही प्रत्येक पाठ्यक्रम में संस्कृत का एक पत्र अनिवार्य रुप से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

9.	शिक्षा संकाय के अन्तर्गत PGDME डिप्लोमा कोर्स	डॉ. कुलदीप सिंह सहायक आचार्य शिक्षा ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें पाठ्यक्रम अवधि में संशोधन करते हुए एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में Online/offine Mode पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार संचालित करने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
10.	खेल कलैण्डर लागू करने के संबंध में।	नये शैक्षणिक सत्र से खेल कलैण्डर भी नियमानुसार लागू किये जाने की अभिशंषा की गई एवं शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक नियमानुसार शैक्षणिक सत्र के शुरु में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
11.	विश्वविद्याललय में शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु प्रवेश विवरणिका एवं छात्रावास नियमावली के संबंध में।	सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय की प्रवेश विवरणिका के लिए निदेशक शैक्षणिक परिसर एवं छात्रावास नियमावली के लिए मुख्य छात्रावास अधीक्षक को तैयार कर प्रस्तुत करने के बाद माननीय कुलपति महोदय से अनुमोदन उपरान्त लागू करने की अभिशंषा की गई।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

2.2.2023
कुलसचिव

2.2.2023
कुलपति

Helpline No.:-(+91)-7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141-2850551–75

क्रमांक : प ( ) जरारासंविवि/ शैक्ष. –विद्यापरिषद्/2023/ दिनांक : 24.01.2023

बैठक कार्यवाही विवरण

माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24.01.2023 को दोपहर 3:00 बजे विद्यापरिषद् की 32वीं बैठक (Part II) आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार उपस्थिति रही:–

क्र. सं.	नाम/पद
1.	प्रो. भास्कर शर्मा, संकायाध्यक्ष, वेद–वेदांग संकाय
2.	प्रो. शालिनी सक्सैना, संकायाध्यक्ष आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय
3.	डॉ. एल. एन. शर्मा (शास्त्री), संकायाध्यक्ष दर्शन
4.	डॉ. महेश कुमार शर्मा, संयोजक अध्ययन मण्डल व्याकरण
5.	डॉ. हितेन्द्र धनुष्कर, संयोजक अध्ययन मण्डल जैन दर्शन/श्रमण विद्या
6.	डॉ. जितेन्द्र अग्रवाल, संयोजक अध्ययन मण्डल साहित्य एवं भाषा विज्ञान
7.	डॉ. जगदीश प्रसाद शर्मा, संयोजक अध्ययन मण्डल पुराणेतिहास एवं प्राचीन राजनीति विज्ञान
8.	डॉ. इन्दिरा खत्री, संयोजक अध्ययन मण्डल हिन्दी
9.	डॉ. कमल किशोर सैनी, संयोजक अध्ययन मण्डल राजनीति विज्ञान
10.	डॉ. सुरेन्द्र सिंह शेखावत, संयोजक अध्ययन मण्डल पर्यावरण अध्ययन
11.	डॉ. अशोक पलसानिया, संयोजक अध्ययन मण्डलशारीरिक शिक्षा
12.	डॉ. रणजीत कुमार झा, संयोजक अध्ययन मण्डल वेद एवं पौरोहित्य
13.	डॉ. अरूण कुमार जैन, संयोजक अध्ययन मण्डल (दर्शन) एवं प्राचार्य राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, महापुरा
14.	डॉ. महेश कल्याण, प्राचार्य राज. शा. संस्कृत महाविद्यालय, नीम का थाना
15.	श्री दुर्गेश राजोरिया, कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक

बैठक के एजेण्डे पर सदन द्वारा विस्तृत चर्चा की गई एवं निम्नानुसार अभिशंषा की गई:–

क्र. सं.	प्रकरण	अभिशंषा
1.	शिक्षकों के कैरियर एडवान्स स्कीम (CAS) एवं नवीन नियुक्ति (New Recruitment) के लिए तीन विषय विशेषज्ञ विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदित करवाना।	32वीं विद्यापरिषद् की बैठक Part II में विश्वविद्यालय शिक्षकों के कैरियर एडवान्स स्कीम (CAS) में पदोन्नति एवं नवीन नियुक्ति किए जाने (New Recruitment) के विषय में विचार किया गया जिसमें विषय विशेषज्ञों के पैनल (सूची) बनाने हेतु संकायाध्यक्षों से संबंधित प्रति विषयों में तीस–तीस विषय विशेषज्ञों की नामिका दस दिवस में कुलपति महोदय को उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। राजस्थान मंत्र प्रतिष्ठान में विज्ञान विषय के विशेषज्ञों के नाम किसी संबंधित विद्वान से लिए जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया तथा संमत विषय विशेषज्ञों की प्राप्त सूची में नाम जोड़ने–घटाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

2.2.23

कुलसचिव

2.2.23

कुलपति